प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई
स्टेट हेल्थ एजेन्सी (साचीज)
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई / पत्रा–431–D(1) / 2019–20 / 2016 लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2019

विषय : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों का इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मैन पावर आडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट इम्पैनेलमेन्ट कमेटी की संस्तुति के आधार पर जनपद के निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों को स्टेट इम्पैनेलमेन्ट कमेटी द्वारा आबद्ध किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त आबद्ध चिकित्सालयों का इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मैन पावर आडिट किया जाना अनिवार्य है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की टीम द्वारा उ0प्र0 के कतिपय आबद्ध चिकित्सालयों में भ्रमण के दौरान कई सिविल / मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित विसंगतियां पायी गयीं। अतः आबद्ध चिकित्सालयों में सुविधाओं की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि चिकित्सालय द्वारा इम्पैनेलमेन्ट हेतु किये गये आनलाइन आवेदन में अंकित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन का भौतिक सत्यापन कराया जाये।

उक्त के परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि जनपद स्तर पर टीम गठित करते हुए समस्त आबद्ध निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों का भौतिक सत्यापन कराने का कष्ट करें। आडिट टीम में चिकित्सा विशेषज्ञ (सर्जिकल स्पेशलिस्ट को वरीयता दी जाय) सम्मिलित करना वांछनीय होगा।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत लाभार्थियों का निःशुल्क उपचार तभी सम्भव होगा जब पंजीकरण के समय उनका बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाये। इसके लिये यह आवश्यक है कि समस्त आबद्ध चिकित्सालयों में बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित हो। भौतिक सत्यापन के दौरान यह बिन्दु भी आडिट के एजेन्डा में सम्मिलित किया जाये। कृपया समस्त आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था दिनांक 20 नवम्बर, 2019 से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाये जिससे भारत सरकार की मंशानुरूप लाभार्थियों को पारदर्शी रूप से समुचित इलाज उपलब्ध कराया जा सके।

भवदीया,

13/11/19

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई / पत्रा–431–D(1) / 2019–20 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी